*ग्रामीण और कृषि वित्त: समावेशी और दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी**

एम.के.जैन

श्री सेनारथ बांदरा, अध्यक्ष, एपीआरएसीए (एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन), डॉ. हर्ष कुमार भनवाला, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और एपीआरएसीए के उपाध्यक्ष, डॉ. प्रशांत कुमार दास, महासचिव, एपीआरएसीए, यहां उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियो, देवियों और सज्जनों, नमस्कार!

सर्वप्रथम, मैं एपीआरएसीए और नाबार्ड को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे 6ठें विश्व सम्मेलन के इस समापन कार्यक्रम में अलग-अलग देशों से आए प्रतिभागियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ कि आपने ग्रामीण और कृषि वित्त के लिए वैश्विक सर्वोत्तम दृष्टिकोणों को जानने के उद्देश्य से 'ग्रामीण और कृषि वित्त: समावेशी और दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी' इस विषय को चुना है। इस व्यवसायिक सत्र के जो विषय रखे गए हैं वह संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने, स्थायी और व्यवहार्य वित्तीय सेवाओं को विकसित करने के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने में सहायता प्रदान करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज के सभी विषय सरकार की विकास कार्ययोजना और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वित्तीय समावेशन कार्यनीति के अनुरूप हैं। हम कई वर्षों से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण के लिए औपचारिक वित्त की अधिक से अधिक पहुंच हो सकें। मेरे लिए वास्तव में यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ।

1960 के दशक से हम भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन के प्रयास देख रहे हैं। इस दौरान अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों और जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। भारत सरकार ने 1969 और 1980 दो भागों में कुछ वाणिज्यिक बैंकों के बैंकिंग परिचालन का राष्ट्रीयकरण किया जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने, अग्रणी बैंक योजना तैयार करने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना (आरआरबी-1975-76), सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (1989), स्व-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1989-90), स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना और हाल ही में, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की पहल की। इन सभी विकास कार्यों ने कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या सहित ग्रामीण आबादी को संस्थागत ऋण के प्रवाह में एक गहरा परिवर्तन लाया। देश किसानों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रमश: एक बहु-एजेंसी पद्धति की ओर अग्रसर हुआ।

मुझे यकीन है कि सभी विशिष्ट पैनलिस्ट, अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय प्रतिभागियों और आयोजकों ने पिछले दो दिनों के दौरान फलदायक चर्चाएँ और विचार-विमर्श किया है। इसके साथ ही वे कार्यनीति तैयार करने और आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई योग्य मदों पर ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे हैं।

दिर्घकालिक विकास लक्ष्य

वैश्विक समुदाय जिसमें 17 एसडीजी और 169 लक्ष्य शामिल हैं द्वारा अनुसरण किए जानेवाले दीर्घकालिक विकास फ्रेमवर्क को 2030 तक प्राप्त किया जाना है। जबकि एसडीजी के दूसरे लक्ष्य में कृषि उत्पादकता और स्थिरता के लक्ष्य शामिल थे, फिर भी भूख, कुपोषण, जलवायु परिवर्तन, लिंग समानता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और रोजगार से संबंधित कई अन्य एसडीजी प्राप्त करना कृषि के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए, गरीबी को समाप्त करने और समावेशी विकास में लाने के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कृषि से संबंधित नीतिगत उपायों को एसडीजी लक्ष्यों के साथ घनिष्ठ रूप से एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। आगे, इनके सफल कार्यान्वयन के लिए नीतियों को संसाधन के कुशल तरीके, गतिशील फसल पैटर्न, खेती जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और उत्तरदायी हो तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का गहन उपयोग के संयोजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, कृषक समुदाय को ऋण प्रदान करने के

* श्री एम.के.जैन, उपगवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 13 नवंबर 2019 को दिया गया भाषण।

लिए भारतीय कृषि क्षेत्र और मौजूदा संस्थागत फ्रेमवर्क पर मुझे ध्यान देना चाहिए।

भारतीय कृषि पर एक संक्षिप्त विवरण

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार और आजीविका प्रदान करता है। लगभग 44 (2018 के आईएलओ अनुमान के अनुसार) प्रतिशत कामकाजी आबादी कृषि और संबद्ध क्षेत्र[1] में कार्यरत है। हालाँकि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)[2] के आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी में कृषि का योगदान 1950 के 52 प्रतिशत से घटकर 1990 में 30 प्रतिशत हो गया और 2010 के बाद से 20 प्रतिशत से अधिक नीचे चला गया है। 2018-19 में, (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएन्डएफडब्ल्यू) के वार्षिक रिपोर्ट 2018-19) के अनुसार योजित सकल मूल्य में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योजित सकल मूल्य (जीएवी) का हिस्सा 16 प्रतिशत था। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार पिछले पांच छह वर्षों में जीवीए (2011-12 की कीमतों में) की विकास दर फसलों[3] की तुलना में पशुधन, मछली पकड़ने और जलीय कृषि के लिए अधिक रहा है। कृषि उत्पादन में संबद्ध गतिविधियाँ का योगदान लगभग 40 प्रतिशत हैं, जबकि कृषि ऋण का प्रवाह संबद्ध गतिविधियों[4] की ओर मात्र 6-7 प्रतिशत है। भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह मुख्य रूप से छोटे धारकों की खेती है, जिनके भूमि का औसत आकार 1.08 हेक्टर[5] है। छोटे और सीमांत किसान अपनी सभी भू-संपत्ति का 86 प्रतिशत और संचालित क्षेत्र[6] का 47 प्रतिशत का लेख-जोखा रखते हैं। वे कुल कृषि और संबद्ध उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं। छोटे किसानों की खेती में, कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना एक चुनौती बनी हुई है। इसके लिए आधुनिक निवेश वस्तुओं की आसान पहुंच और फिर सबसे अधिक पारिश्रमिक बाजारों में उन उपजों को बेचने के लिए उपयुक्त उपायों की आवश्यकता है। मूल्य श्रृंखला के साथ उचित लागत पर संस्थागत ऋण एक ऐसा उत्प्रेरक साधन है जो कई जीविका किसानों को व्यावसायिक किसानों में परिवर्तित करके इस प्रक्रिया को सुगम बना सकता है। फिर वे फल और सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती से अपने कृषि कार्यों में विविधता ला सकते हैं और डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य, शहद, मधुमक्खी पालन, आदि जैसे संबद्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इन संबद्ध गतिविधियों में अपार क्षमता है तथा इनके लिए ऋण प्रवाह में सुधार से और किसानों को संबद्ध गतिविधियों की ओर प्रोत्साहित करके इसका पूंजीकरण किया जा सकता है।

समय-समय पर सरकार ने विभिन्न नीतिगत आदेश दिए हैं जिसके परिणामस्वरूप, भारतीय कृषि क्षेत्र न केवल आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि चावल, समुद्री उत्पाद, कपास, आदि जैसे कई वस्तुओं के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। सरकार द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल में कम ब्याज दर पर फसल उत्पादन के लिए ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता स्कीम (आईएस) का कार्यान्वयन, कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), सिंचाई सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर कीमत पता करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम) शामिल है। इसके साथ ही किसानों को आय अनुदान के लिए संबद्ध गतिविधियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।

इन पहलों के बावजूद, भारतीय कृषि के सामने घटते और कम होते प्राकृतिक संसाधन, भोजन की तेजी से बढ़ती मांग (न केवल मात्रा के लिए, बल्कि गुणवत्ता के लिए भी), स्थिर कृषि आय, खंडित भूमि जोत और अभूतपूर्व जलवायु परिवर्तन, जैसी कई चुनौतियां हैं। भारतीय कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता और व्यवहार्यता के लिए इससे निपटने की आवश्यकता है।

भारतीय कृषि में संस्थागत ऋण की क्या भूमिका रही है?

भारत में कृषि के क्षेत्र में औपचारिक ऋण के स्तर पर और आउटरीच के संदर्भ में बैंकों ने सराहनीय प्रगति की है। वर्ष 1981 में ₹31.71 बिलियन से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बकाया अग्रिम 2017-18 में ₹13694.56 बिलियन तक (कुल

1. https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS
2. एमओएसपीआई के विभिन्न रिपोर्ट
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 भाग II अध्याय 7 कृषि और खाद्य प्रबंधन
4. कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आरबीआई आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट 2019
5. कृषि जनगणना 2015-16
6. कृषि जनगणना 2015-16

बैंक ऋण का 16 प्रतिशत) बढ़ गया है। संस्थागत कृषि ऋण में दीर्घकालिक रुझान से पता चला है कि समय के साथ, स्तर में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण 1970 में 10 प्रतिशत से बढ़कर से 2018 तक 52 प्रतिशत हो गया, जो यह दर्शाता है कि बैंकों ने कृषि को ऋण देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (79 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र में ऋण की आपूर्ति करने वाले प्रमुख सहभागी हैं, इसके बाद ग्रामीण सहकारी बैंक (15 प्रतिशत), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (5 प्रतिशत) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (1 प्रतिशत) हैं। वित्तीय समावेशन को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से स्थापित लघु वित्त बैंकों ने हाल ही में अपना परिचालन शुरू किया है। वे छोटे और सीमांत किसानों, कम आय वाले घरों, छोटे व्यवसायों और अन्य असंगठित संस्थाओं की जरुरतों को पूरा करेंगे।

कृषि वित्तपोषण की चुनौतियां

औपचारिक कृषि ऋण में प्रभावशाली वृद्धि होने के बावजूद, अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। नाबार्ड के वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार, कृषि परिवारों द्वारा लिए गए औसत ऋण डेटा यह संकेत देता है कि संस्थागत स्रोतों से ऋण की 72 प्रतिशत और गैर-संस्थागत स्रोतों से 28 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा किया गया। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कुल कृषि परिवारों में से लगभग 30 प्रतिशत अभी भी गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। भूमिहीन कृषकों के लिए कानूनी ढाँचे की कमी जैसे कि दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव के कारण जो मौखिक पट्टे पर खेती का काम करते हैं, ऐसे किसानों के समुदाय के तबके को ऋण देना एक प्रमुख बाधा है। इसके अलावा, संस्थागत कृषि ऋण के राज्यवार प्रवाह के विश्लेषण से राज्यों के बीच समग्र उत्पादन में उनकी समान हिस्सेदारी की तुलना में ऋण के असमान वितरण का पता चला है। एक निश्चित सीमा तक इस तरह की क्षेत्रीय असमानता इन क्षेत्रों की ऋण समावेश करने की क्षमता में भिन्नता का कारण है। बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण की कमी के कारण ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) जैसे फंड का निर्माण किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण समावेश करने की क्षमता को और गहरा करने तथा ग्रामीण बुनियादी संरचना को सक्षम बनाने हेतु राज्य सरकारों को ऋण देने के बुनियादी सिद्धांत के साथ नाबार्ड की स्थापना की गई है।

आरआईडीएफ से प्राप्त मंजूरी के विश्लेषण से इस बात का पता चलता है कि निधि के अंतर्गत उच्च ऋण प्रवाह वाले राज्यों ने संसाधनों की अधिक मांग की है। इसके विपरीत, न्यूनतम ऋण प्रवाह वाले राज्य आरआईडीएफ से निधि उधार लेने में पिछड़ रहे थे। इस प्रकार, सबसे कम विकसित राज्यों, जो पहले से ही ऋणग्रस्त हैं, उन्हें आरआईडीएफ से कम निधि प्राप्त हो रहा है। इस दुष्चक्र को तोड़ने और कुछ उपायों के बारे में सोचने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जिसके द्वारा देश में सबसे पिछड़े क्षेत्रों के तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए सबसे पिछड़े / ऋण-पीडित क्षेत्रों में धनराशि डाली जा सकती है। बैंकों को इन पिछड़े क्षेत्रों में ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीकों के बारे में भी हमें सोचना पड़ सकता है ताकि मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। ये मुद्दे और चुनौतियां कृषि ऋण प्रणाली की दक्षता, समग्रता और स्थिरता पर प्रभाव डालती हैं, जोकि चिंता का विषय है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित आंतरिक कार्य समूह

इसे देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2019 में एक आंतरिक कार्य समूह (IWG) की स्थापना की थी, ताकि उन मुद्दों को समझा जा सके और बाधाओं को दूर करने के लिए व्यावहारिक उपायों की सिफारिश की जा सके। आंतरिक कार्य समूह (IWG) ने व्यापक डेटा विश्लेषण और अनुसंधान तथा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों और व्यवसायियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद सितंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आंतरिक कार्य समूह की सिफारिशों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना , भूमि पट्टे के ढांचे में सुधार, कृषि संबंधी नीतिगत सुधारों के संबंध में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी का निर्माण करना और ऋण वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैंकों और किसानों के बीच सूचना के अंतर को पाटने हेतु अभिनव डिजिटल समाधान करना शामिल है। इसमें अन्य नीतिगत हस्तक्षेपों की भी

सिफारिश की गई है, जैसे: सभी बैंकों में लागू प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण दिशा-निर्देश में उपयुक्त संशोधन और किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से ऋण वितरण चैनलों को मजबूत करना। किसान उत्पादक संगठन, एक सीमा तक कृषक समुदाय के वित्तीय सेवाओं से वंचित क्षेत्रों के साथ-साथ देश के ऋणग्रस्त क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अधिक प्रभावी और कुशल बनाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा क्योंकि ये भारतीय कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।

वित्तीय समावेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए वित्तीय समावेशन (एफआई) एक नीति प्रमुख क्षेत्र हैं और इसके विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, पिछले 10 साल से देश को मिशन मोड में स्थापित करने के बाद से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई है। आगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के आरंभ के साथ, लगभग हर परिवार को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के घेरे में लाया गया है। इसके चलते दोनों जमा खातों और क्रेडिट उत्पादों के मामले में पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुधार हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से सभी नागरिकों को वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध, सुलभ और वहन करने योग्य बनाने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति स्थापित करने की पहल की है। वित्तीय समावेशन कार्यनीति के कार्यनीतिक स्तंभों में, सर्व साधारण तक वित्तीय सेवाएं, बुनियादी वित्तीय सेवाएं, आजीविका और कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और शिक्षा, ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। एफआई कार्यनीति का उद्देश्य है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और एक बहु हितधारक दृष्टिकोण को अपनाते हुए स्थायी वित्तीय समावेशन करना है।

एफआई कार्यनीति की प्रमुख विशेषताएं हैं: बैंक शाखाओं की बेहतर नेटवर्किंग, कारोबार प्रतिनिधि एजेंट्स, माइक्रो एटीएम, पोइंट ऑफ सेल टर्मिनलों और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए देश में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना जिससे की ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग अर्थात् ऑनलाइन बैंक खाता खोलने और लेन-देन करने के लिए सक्षम होना। यह ग्राहकों को डिजिटल भुगतानों को अपनाने और स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार के डिजिटल लेनदेन के माध्यम से दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार की कार्यनीति ग्राहक को केंद्र में रख कर अपनाई गई है और इसके लिए वित्तीय साक्षरता और जागरुकता अभियान की दिशा में उचित प्रयास किए गए हैं। अंत में, औपचारिक वित्तीय प्रणाली में नए प्रवेशकों के भरोसा और विश्वास के निर्माण के लिए यह कार्यनीति ग्राहक की शिकायत और सुरक्षा के ढांचे पर केंद्रित है। राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय समावेशन कार्यनीति का कार्यान्वयन सभी हितधारकों के प्रभावी समन्वय और वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों / सिविल सोसायटी / गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए एक मंच बनाकर विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने से सफल होगा। हमने अपने विशाल देश के वित्तीय सेवाओं से वंचित लोगों और वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में एक लंबा सफर तय किया हैं। आगे बढ़ते हुए, एफआई कार्यनीति वित्तीय समावेशन की पहुंच, उसके उपयोग और उसकी स्थिरता को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

प्रौद्योगिकी - स्थायी कृषि के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक

प्रौद्योगिकी ने भारतीय कृषि की उत्पादकता में ठहराव को दूर करने में सहायता, बाजार संबंधों को मजबूत करने और कृषि प्रबंधन को बढ़ाने में बार-बार प्रेरित किया है। वैश्विक स्तर पर, यह स्थापित किया गया है कि किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने से उनके उत्पादन पद्धतियों का आधुनिकीकरण होता है जिससे किसानों को एक समान वार्षिक लाभ प्राप्त होता है। इससे फसल खराब होने का खतरा भी कम होता है और पैदावार में वृद्धि होती है। इसलिए, कृषि विकास नीतियों को वृहद स्तर पर निम्नलिखित लक्ष्यों (i) उत्पादकता बढ़ाकर उच्च विकास प्राप्त करना (ii) पिछड़े क्षेत्रों, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन / किरायेदार / मौखिक पट्टेदार और महिला किसानों के कवरेज में सुधार करके समावेश (iii) कृषि स्थिरता, के साथ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मुझे ऐसा लगता है कि कृषि-स्टार्टअप द्वारा उत्पाद, सेवा या अनुप्रयोग के रूप में नए युग के तकनीकी समाधान कृषि स्थिरता

को बढ़ाने के लिए एक स्मार्ट कृषि मूल्य श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। एग्री-स्टार्ट-अप आपूर्ति श्रृंखला, बुनियादी ढांचे के विकास, वित्त संबंधी समाधान, कृषि डेटा विश्लेषण और सूचना प्लेटफार्मों जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय कृषक वर्ग को अतीत में, अधिक अन्न उगाने के लिए कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हम एक खाद्य अधिशेष देश और कई कृषि और उससे संबद्ध उत्पादों के शुद्ध निर्यातक बन गए हैं। इसके लिए कृषि से जुड़ी सरकारी नीतियों को खाद्य अभाव प्रबंधन से खाद्य अधिशेष के प्रबंधन पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। आज, भारतीय कृषि एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रही है: वह है कृषि उत्पाद कि संधारणीय वृद्धि, समावेशी और जिम्मेदारी पूर्वक बढ़ाना। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी हितधारक अपनी नीतियों और कार्यों को एसडीजी के अनुरूप करेंगे। जहां तक कृषि वित्तपोषण का संबंध है, कृषि क्षेत्र में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और दीर्घकालिक परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए बैंकों को अपनी व्यावसायिक कार्यनीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में 'स्थिरता' को लाना होगा। इसके लिए, बैंकों को चाहिए कि वे उन्नत कृषि वित्तपोषण मॉडल को अपनाए ताकि पर्यावरण के अनुकूल और दीर्घकालिक परियोजनाओं का समर्थन किया जा सके। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं।